दिनांक– 13.12.2016–

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारों के मध्य सुलह का प्रयास किया गया, परन्तु उनके द्वारा सुलह किये जाने से इन्कार किया गया है। पत्रावली आज वाद बिन्दु विरचित किये जाने हेतु नियत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। वादपत्र में किए गए उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते है।

1– क्या वादी विवादित भूमिधरी आराजी सं०– 1021/0.1620, 1024 मि/0.4900 हे०, खसरा सं०– 1024/2 रकबा 0.490 व 1023/0.1820 एअर व 1022 मि रकबा0.1820 एअर खसरा संख्या 1022/2 रकबा 0.182 एअर बांके मौजा पचौरो परगना मऊरानीपुर जिला झांसी का मालिक है तथा उस पर काबिज दखील है?

2– क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3– क्या वादी द्वारा अदा न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

4– क्या प्रस्तुत वाद धारा 34,38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

5– क्या प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने का दोष आरिज है?

6– क्या वादी अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है, न ही पक्षकारों के द्वारा कोई अन्य वाद बिन्दु बनाने पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं०–2 लंच बाद पेश हो।

(रविकांत यादव)
सिविल जज (जू0 डि0), मऊरानीपुर

दिनांक– 13.12.2016– लंच बाद

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वाद बिन्दु सं0–2 के निस्तारण हेतु नियत है। उक्त वाद बिन्दु पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2</u>

वाद बिन्दु सं0– 2 प्रतिवादी के अभिवचन पर इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। उक्त तर्क का खण्डन करते हुए वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वाद का मूल्यांकन नियमानुसार सही है तथा वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के वार्षिक लगान को आधार मानते हुए 489/– रूपया किया गया है जो नियमानुसार है। वादपत्र के पैरा 6 में मूल्यांकन खण्ड से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के वार्षिक लगान को आधार मानते हुए किया गया है जो कि नियमानुसार उचित व न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादीगण के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं है तथा वादी के तर्कों में पर्याप्त बल है तदनुसार वाद बिन्दु सं0–2 नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद बिन्दु सं0–2 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु सं0–3 दिनांक 24.01.17 को पेश हो।

(रविकान्त यादव)
सिविल जज (जू0 डि0), मऊरानीपुर